

प्रेषक,
जिलाधिकारी
सहारनपुर
सेवा में,
निदेशक,
सूचना विभाग, उ०प्र०,
लखनऊ

पत्रांक 2696/ख०अनु०/निविदा/2025-28

दिनांक 16/01/2025

विषय:- जनपद सहारनपुर में अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज आर०बी०एम० को ई-निविदा (ई-टेंडर) के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट स्थित ग्राम महमूदपुर नगली मुस्त० के ख०नं० 11 रकबा 1.342हे०, ग्राम अलाउद्दीनपुर बांस मुस्त० के ख०नं० 46/1 रकबा 1.536हे०, ग्राम छज्जा अहतमाल के ख०नं० 32/1 रकबा 1.657हे०, ग्राम छज्जा अहतमाल के ख०नं० 37/2 रकबा 0.133हे०, ग्राम छज्जा अहतमाल के ख०नं० 47 रकबा 0.379हे०, ग्राम छज्जा अहतमाल के ख०नं० 3 रकबा 0.502हे०, ग्राम कालूवाला पहाडीपुर के ख०नं० 119/3 रकबा 1.159हे०, ग्राम बरथा कोरसी के ख०नं० 184, 185 रकबा 1.229हे०, ग्राम बरथा कोरसी के ख०नं० 180 रकबा 0.666हे० तथा ग्राम असलमपुर बरथा के ख०नं० 293 रकबा 1.239हे० में पुराने स्क्रीनिंग प्लाण्ट/क्रेशर की डग पर भण्डारित उपखनिज आर०बी०एम० की कुल मात्रा 53,351 घ०मी० को ई-निविदा (ई-टेंडर) से स्वीकृत किये जाने के लिए विज्ञप्ति संख्या 2695/ख०अनु०/निविदा/2025-26 दिनांक 16/01/26 की प्रति सी०डी० सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि निविदा आमन्त्रण सूचना को व्यापक प्रचार-प्रसार वाले कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशन के उपरान्त उसकी प्रति खनिज कार्यालय, सहारनपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्रांक व दिनांक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव महोदय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. निदेशक महोदय, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर
(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 2695/ख0अनु0/ई-निविदा/2025-26

दिनांक : 16/01/2026

भण्डारित आर0बी0एम0 के निस्तारण/निकासी हेतु
ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट स्थित ग्राम महमूदपुर नगली मुस्त0 के ख0नं0 11 रकबा 1.342हे0, ग्राम अलाउद्दीनपुर बांस मुस्त0 के ख0नं0 46/1 रकबा 1.536हे0, ग्राम छज्जा अहतमाल के ख0नं0 32/1 रकबा 1.657हे0, ग्राम छज्जा अहतमाल के ख0नं0 37/2 रकबा 0.133हे0, ग्राम छज्जा अहतमाल के ख0नं0 47 रकबा 0.379हे0, ग्राम छज्जा अहतमाल के ख0नं0 3 रकबा 0.502हे0, ग्राम कालूवाला पहाडीपुर के ख0नं0 119/3 रकबा 1.159हे0, ग्राम बरथा कोरसी के ख0नं0 184, 185 रकबा 1.229हे0, ग्राम बरथा कोरसी के ख0नं0 180 रकबा 0.666हे0 तथा ग्राम असलमपुर बरथा के ख0नं0 293 रकबा 1.239हे में पुराने स्क्रीनिंग प्लाण्ट/क्रेशर की डग पर भण्डारित उपखनिज आर0बी0एम0 की कुल मात्रा 53,351 घ0मी0 को उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये अल्प अवधि के लिये ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से निकासी हेतु ई-निविदा दिनांक 16.01.2026 से 20.01.2026 तक अपराह्न 5:00 बजे तक ई-निविदा वेब-साईट <http://etender.up.nic.in> पर आमन्त्रित की जाती है, जिसके बंद लिफाफे दिनांक 21.01.2026 को सांय 3:00 बजे तक खनन कार्यालय में प्राप्त किये जायेगे तथा दिनांक 21.01.2026 को ही सांय 04:00 बजे कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सहारनपुर के कक्ष में खोली जायेगी। विज्ञप्ति के सम्बन्ध में अधिक जानकारी खनन कार्यालय सहारनपुर से या दूरभाष नं0-8887534814 के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्र संख्या व दिनांक :-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, सहारनपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद सहारनपुर।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर
(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 2695/ख0अनु0/ई-निविदा/2025-26

दिनांक : 16/01/2026

भण्डारित आर0बी0एम0 के निस्तारण/निकासी हेतु
ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट स्थित ग्राम महमूदपुर नगली मुस्त0, अलाउद्दीनपुर बांस मु0, छज्जा अहतमाल, कालूवाला पहाडीपुर, बरथा कोरसी तथा ग्राम असलमपुर बरथा में पुराने स्क्रीनिंग प्लाण्ट/क्रेशर की डग पर भण्डारित उपखनिज आर0बी0एम0, जिसे उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-8 में उल्लिखित अल्प अवधि के लिये ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से निकासी हेतु ई-निविदा दिनांक 16.01.2026 से दिनांक 20.01.2026 तक अघराह्न 5:00 बजे तक वेब-साईट <http://etender.up.nic.in> पर आमन्त्रित की जाती है, जिसके बंद लिफाफे दिनांक 21.01.2026 को सांय 3:00 बजे तक खनन कार्यालय में प्राप्त किये जायेगे तथा दिनांक 21.01.2026 को ही सांय 04:00 बजे कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सहारनपुर के कक्ष में खोली जायेगी। भण्डारित स्थल व मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है:-

भण्डारित स्थल का विवरण :-

क्र0 सं0	ग्राम /तहसील	ख0नं0 /रकबा	मात्रा (घ0मी0 में)	रॉयल्टी की दर (प्रति घ0मी0) (खनिमुख मूल्य)	सकल धनराशि (4 x 5)	अर्नेस्ट मनी की धनराशि (सकल धनराशि का 50 प्रतिशत)	RBM की निकासी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महमूदपुर नगली बेहट	11 1.342हे0	13,550	550/-	74,52,500/-	37,26,250/-	20 दिन
2	अलाउद्दीनपुर बांस मुस्त0 बेहट	46/1 1.536हे0	7,056	550/-	38,80,800/-	19,40,400/-	15 दिन
3	छज्जा अहतमाल बेहट	32/1 1.657हे0	8,205	550/-	45,12,750/-	22,56,375/-	15 दिन
4	छज्जा अहतमाल बेहट	37/2 0.133हे0	4,956	550/-	27,25,800/-	13,62,900/-	15 दिन
5	छज्जा अहतमाल बेहट	47 0.379हे0	2,824	550/-	15,53,200/-	7,76,600/-	10 दिन
6	छज्जा अहतमाल बेहट	3 0.502हे0	5,576	550/-	30,66,800/-	15,33,400/-	15 दिन
7	कालूवाला पहाडीपुर बेहट	119/3 1.159हे0	3,217	550/-	17,69,350/-	8,84,675/-	10 दिन
8	बरथा कोरसी बेहट	184, 185 1.229हे0	4,299	550/-	23,64,450/-	11,82,225/-	15 दिन
9	बरथा कोरसी बेहट	180 0.666हे0	2,576	550/-	14,16,800/-	7,08,400/-	10 दिन
10	असलमपुर बरथा बेहट	293 1.239हे0	1,092	550/-	6,00,600/-	3,00,300/-	10 दिन

क्षेत्र का जियो-कॉर्डिनेट्स

क्र०सं०	ग्राम	ख०नं०/रकबा	जियो-कॉर्डिनेट्स	
1	महमूदपुर नगली बेहट	11/1.342हे०	30° 15' 52.27" N	77° 32' 39.68" E
			30° 15' 52.65" N	77° 32' 40.72" E
			30° 15' 52.62" N	77° 32' 41.40" E
			30° 15' 51.59" N	77° 32' 40.60" E
			30° 15' 50.76" N	77° 32' 40.27" E
			30° 15' 51.02" N	77° 32' 41.43" E
			30° 15' 50.71" N	77° 32' 42.16" E
			30° 15' 51.35" N	77° 32' 42.84" E
			30° 15' 52.02" N	77° 32' 42.09" E
2	अलाउद्दीनपुर बांस मुस्त० बेहट	46/1/1.536हे०	30° 16' 2.99" N	77° 32' 46.50" E
			30° 16' 4.46" N	77° 32' 47.74" E
			30° 16' 2.16" N	77° 32' 46.85" E
			30° 16' 4.09" N	77° 32' 48.33" E
			30° 16' 0.97" N	77° 32' 46.50" E
			30° 16' 0.71" N	77° 32' 46.91" E
3	छज्जा अहतमाल बेहट	32/1/1.657हे०	30° 17' 8.24" N	77° 33' 27.94" E
			30° 17' 07.67" N	77° 33' 27.56" E
			30° 17' 06.63" N	77° 33' 29.78" E
			30° 17' 05.98" N	77° 33' 28.96" E
4	छज्जा अहतमाल बेहट	37/2/0.133हे०	30° 17' 03.38" N	77° 33' 21.81" E
			30° 17' 03.48" N	77° 33' 21.73" E
			30° 17' 03.08" N	77° 33' 21.28" E
			30° 17' 02.93" N	77° 33' 21.32" E
			30° 17' 03.18" N	77° 33' 21.09" E
			30° 17' 02.84" N	77° 33' 20.66" E
			30° 17' 02.19" N	77° 33' 21.11" E
			30° 17' 01.95" N	77° 33' 22.19" E
			30° 17' 01.02" N	77° 33' 21.00" E
5	छज्जा अहतमाल बेहट	47/0.379हे०	30° 16' 53.27" N	77° 33' 16.95" E
			30° 16' 54.53" N	77° 33' 18.60" E
			30° 16' 52.96" N	77° 33' 17.27" E
			30° 16' 54.25" N	77° 33' 18.87" E
6	छज्जा अहतमाल बेहट	3/0.502हे०	30° 17' 16.47" N	77° 33' 43.68" E
			30° 17' 15.42" N	77° 33' 43.75" E
			30° 17' 17.31" N	77° 33' 45.62" E
			30° 17' 16.89" N	77° 33' 46.08" E
7	कालूवाला पहाडीपुर बेहट	119/3/1.159हे०	30° 12' 10.20" N	77° 45' 40.95" E
			30° 12' 10.16" N	77° 45' 41.10" E
			30° 12' 8.74" N	77° 45' 40.71" E
			30° 12' 8.01" N	77° 45' 41.72" E
			30° 12' 8.47" N	77° 45' 42.15" E
			30° 12' 8.91" N	77° 45' 41.03" E
8	बरथा कोरसी बेहट	184, 185/1.229हे०	30° 14' 19.27" N	77° 31' 55.26" E
			30° 14' 19.46" N	77° 31' 55.81" E
			30° 14' 19.49" N	77° 31' 57.58" E
			30° 14' 18.34" N	77° 31' 57.06" E
9	बरथा कोरसी बेहट	180/0.666हे०	30° 14' 16.83" N	77° 32' 1.38" E
			30° 14' 17.42" N	77° 32' 1.68" E
			30° 14' 17.22" N	77° 32' 2.58" E
			30° 14' 17.75" N	77° 32' 3.48" E

			30° 14' 17.68" N	77° 32' 3.57" E
			30° 14' 16.79" N	77° 32' 2.37" E
10	असलमपुर बरथा बेहट	293/1.239हे0	30° 13' 18.73" N	77° 31' 48.48" E

शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी की निर्धारित अवधि अथवा मात्रा की निकासी तक, जो पहले हो, की होगी, इसके अतिरिक्त अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।
- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्नप्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी :-
 - निविदाकार का नाम:-
 - निविदाकार के पिता का नाम:-
 - स्थायी पता:-
 - वर्तमान पता:-
 - पेन नं0:-
 - आधार नं0:-
 - ई-मेल आई डी:-
 - मोबाईल नं0
 - पते का प्रमाण पत्र (वोटर आई डी/पास पोर्ट/डीएल/विद्युत बिल/बैंक पास बुक/राशन कार्ड)
 - आवेदित क्षेत्र का विवरण - तहसील व ग्राम का नाम :-
 - उपखनिज का नाम :-
 - भण्डारित आर0बी0एम0 की मात्रा:-
 - खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र:-
 - न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत के समतुल्य अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि जिलाधिकारी सहारनपुर के नाम देय होगा।
 - बैंक ड्राफ्ट की धनराशि :-
 - बैंक का नाम व शाखा :-
 - ड्राफ्ट नम्बर एवं दिनांक :-
 - जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र-
 - चोरी, तस्करी, अवैध खनन/अवैध परिवहन अथवा अवैध खनिज भण्डारण से सम्बंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में दोषी सिद्ध नहीं ठहराये गये हैं,के सम्बंध में शपथ पत्र-
- ई-निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध उपखनिज आर0बी0एम0 की मात्रा/स्थिति आदि का आंकलन स्वयं करके संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रतिभाग करें, निविदा उपरान्त किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्राप्त ई-निविदाओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।
- सर्वोच्च दर के ई-निविदा कर्ता का चयन उस क्षेत्र के उपखनिज की निकासी की अनुमति देने के लिये किया जायेगा। सफल ई-निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा निकासी हेतु सहमति पत्र (LOI) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई-निविदा प्रस्तुत करने वाले ई-निविदा कर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर के अनुसार देय धनराशि अग्रिम के रूप से जमा अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुये शेष धनराशि 03 दिन के अन्दर जमा कराना अनिवार्य होगा। समस्त धनराशि एवं नियमानुसार स्टाम्प शुल्क एवं 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 व 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 जमा करने

के उपरान्त की कार्यादेश जारी किया जायेगा। यदि ई-निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में उपरोक्त धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो जमा अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई दावा बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. उक्त ई-निविदा को बिना कोई कारण बताए जिलाधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
8. उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी की अवधि तालिका में अंकित अवधि के अनुसार ही अनुमन्य होगी, तदोपरान्त अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा। भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली-2018 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी सम्बंधित पोर्टल एवं जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
9. बिन्दु सं0-2 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा, यदि ई-निविदाकार द्वारा बिन्दु सं0-2 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों यथा पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने से एक घन्टे पूर्व अर्थात् 3:00 बजे तक जमा कराना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति के क्षेत्र का क्रमांक, क्षेत्र का नाम, आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
10. उपखनिज निकासी हेतु कार्यादेश जारी किये जाने के उपरान्त ही उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी किया जायेगा।
11. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।


(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्र संख्या व दिनांक :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, सहारनपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद सहारनपुर।


जिलाधिकारी
सहारनपुर।

के उपरान्त की कार्यादेश जारी किया जायेगा। यदि ई-निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में उपरोक्त धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो जमा अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये जारी लेटर ऑफ इन्टेंट निरस्त कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई दावा बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. उक्त ई-निविदा को बिना कोई कारण बताए जिलाधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
8. उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी की अवधि तालिका में अंकित अवधि के अनुसार ही अनुमन्य होगी, तदोपरान्त अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा। भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली-2018 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी सम्बंधित पोर्टल एवं जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
9. बिन्दु सं0-2 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा, यदि ई-निविदाकार द्वारा बिन्दु सं0-2 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों यथा पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने से एक घन्टे पूर्व अर्थात् 3:00 बजे तक जमा कराना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति के क्षेत्र का क्रमांक, क्षेत्र का नाम, आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
10. उपखनिज निकासी हेतु कार्यादेश जारी किये जाने के उपरान्त ही उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी किया जायेगा।
11. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्र संख्या व दिनांक :-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, सहारनपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद सहारनपुर।

जिलाधिकारी
सहारनपुर।